

**उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ,
अपर आमवाला देहरादून**

**समूह 'ग' सम्मिलित भर्ती परीक्षा-2011 द्वितीय चरण के अन्तर्गत ग्रुप-30 (वाहन चालक) के पदों पर भर्ती के
अन्तर्गत रिक्तियों के सापेक्ष अभिलेख सत्यापन की घोषणा**

उत्तराखण्ड समूह 'ग' सम्मिलित भर्ती-2011 (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत ग्रुप-30 की लिखित परीक्षा का परीक्षाफल विज्ञापन सं0 6664/उप्राशिप/स0ग0म0प0/2012 दिनांक :22/2/2013 के द्वारा समाचार पत्रों एवं वेबसाईट के माध्यम से घोषित किया गया। परिषद् द्वारा जारी विज्ञापन सं0 5586/उप्राशिप/समूह-ग/झा0परी/जी-30/2013-14 दिनांक 22/2/2014 एवं विज्ञापन सं0 5609/उप्राशिप/समूह-ग/झा0परी/जी-30/2013-14 दिनांक: 24/2/2014 के माध्यम से वाहन चालन परीक्षा हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों के अनुक्रमांकों की सूची जारी की गयी। मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 747 आफ 2016 में दिये गये निर्णय के क्रम में एवं शासनादेश संख्या 1941/XLI-1/2017-42/11 दिनांक 17 नवम्बर 2017 के अनुपालन में उत्तराखण्ड सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2008 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार निम्नानुसार अभ्यर्थियों को वाहन चालन परीक्षा हेतु " इन्स्टीट्यूट आफ ड्राइविंग एण्ड ट्रैफिक रिसर्च (IDTR) झाजरा देहरादून" में दिनांक 04 दिसम्बर 2017 से दिनांक 14 दिसम्बर 2017 के मध्य आमंत्रित किया गया। वाहन चालन परीक्षा के उपरान्त लिखित परीक्षा (25 अंक) एवं वाहन चालन परीक्षा (75 अंक) के प्राप्तियों के योग के अनुसार परीक्षा परिणाम तैयार/जारी कर परिषद् की वेबसाईट www.ubter.in पर अपलोड किया गया। परिषद् में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार कर निम्नानुसार अभ्यर्थियों को दिनांक 9 फरवरी 2018 को पूर्वान्ह 11.00 बजे अभिलेख सत्यापन/विकल्प के अनुसार विभाग आवंटन हेतु उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्, संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ, अपर आमवाला देहरादून में आमंत्रित किया गया। अभिलेख सत्यापन में अभ्यर्थियों से प्राप्त विकल्पों के आधार पर विभाग आवंटन सूची विज्ञापन सं0 2846/उप्राशिप/समूह-ग/च0परी0/जी-30/2017-18 दिनांक 20/02/2018 के माध्यम से जारी की गयी। पद हेतु अनई अभ्यर्थियों के कारण रिक्त सीटों के सापेक्ष निम्नानुसार अभ्यर्थियों को दिनांक 19 मार्च 2018 को अपरान्ह 1.00 बजे अभिलेख सत्यापन हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ अपर आमवाला देहरादून में आमंत्रित किया जाता है:-

क्र0सं0	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	जन्म तिथि	आवंटित श्रेणी	आवंटित उप श्रेणी	प्राप्तांक अधिकतम अंक-100
1.	401101324	SANDEEP SINGH	07-07-1991	OP		73
2.	401103176	MAHENDER SINGH NEGI	26-03-1983	OP		72.75
3.	401103188	MANDEEP	26-12-1988	OP		72.75
4.	401101214	JAYBEER SINGH PANWAR	05-05-1982	OP		72.25
5.	402001172	SUNIL KUMAR TEWARI	26-10-1981	OP		72
6.	401901090	KISHAN SINGH RAWAT	05-11-1983	OP		72
7.	401401240	DIWAS KUKRETI	30-10-1984	OP		72
8.	401701144	DEEPAK SINGH THALWAL	17-11-1978	OP		71.75
9.	401103237	ASHISH KUMAR	30-06-1984	OP		71.75
10.	402001087	MADAN MOHAN	09-11-1974	OP		71.5
11.	401901154	ANWAR ULLA	11-10-1976	OBC		66.25
12.	401801199	VIKRAM SINGH	21-01-1973	SC		66
13.	401101160	NARAYAN SINGH	03-12-1980	ST		66
14.	401901284	PREM PRAKASH	30-05-1989	SC		66
15.	402201122	MUKESH KUMAR	15-08-1979	SC		65.75
16.	402201095	NARENDRA YADAV	14-03-1981	OBC		65.75
17.	401401122	RAJESH KUMAR	10-07-1983	SC		65.75
18.	401301047	PARVEEN SALERA	03-11-1985	SC		65.75
19.	401901043	RAVINDRA NATH	03-03-1982	OBC		65.5
20.	401102233	HARISH KUMAR	15-06-1976	OBC		65.25

नोट:- अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र ओ0एम0आर0 पैटर्न पर भरे गये थे एवं परिषद् द्वारा ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के साथ कोई संलग्नक आमंत्रित नहीं किये गये थे। अतः अभ्यर्थियों को पूर्णतः औबन्धिक रूप से अभिलेख सत्यापन में आमंत्रित किया जा रहा है अभिलेख सत्यापन में आमंत्रित करने का तात्पर्य अंतिम चयन नहीं है। अभ्यर्थियों द्वारा पद हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता, वाहन चालन लाईसेंस तथा आयु सम्बन्धी शर्तें एवं विज्ञापन के अनुसार अन्य शर्तें पूर्ण होने की दशा में ही अंतिम चयन की कार्यवाही की जायेगी। अतः अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन में निर्धारित तिथि को निम्नानुसार अभिलेख के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें:-

1. उत्तराखण्ड में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में जीवित पंजीकरण प्रमाण पत्र मूल रूप में एवं 2 छायाप्रति (आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2012 को वैध होना अनिवार्य)।
2. न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा-8 उत्तीर्ण अथवा हाईस्कूल की अंकतालिका मूल रूप में एवं 2 छायाप्रति।
3. यथास्थिति भारी, हल्के वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस नियम-16 के अधीन रिक्त के सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित किये जाने के दिनांक के पूर्व से तीन वर्ष से अन्यून अवधि का रखता हो की 2 छायाप्रति एवं मूल प्रति।
4. समस्त आरक्षण आरक्षित वर्ग GEN(EX), OBC, SC, ST) के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड का स्थाई निवास प्रमाण पत्र एवं आरक्षण प्रमाण पत्र की 2-2 छाया प्रतियां एवं मूल प्रतियां।
5. लिखित परीक्षा, वाहन चालन परीक्षा एवं अभिलेख सत्यापन हेतु जारी प्रवेश/बुलावा पत्र की 2-2 छायाप्रति।
6. निर्धारित प्रारूप पर भरा हुआ आवेदन पत्र दो प्रतियों में (परिषद् की वेबसाईट www.ubter.in पर प्रारूप उपलब्ध है)। अभिलेख सत्यापन हेतु बुलावा पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित किये गये हैं।